मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–266

उत्तर प्रदेश में चतुर्थ चरण की 13 लोकसभा सीटों तथा ददरौल विधानसभा उप निर्वाचन सीट के लिए 13 मई को मतदान

मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र मान्य

बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा

प्रवासी मतदाताओं को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा

मतदाता सूची में नाम जांचने और पोलिंग बूथ जानने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग कर सकते हैं

–श्री नवदीप रिणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी

दिनांक : 11 मई, 2024

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दौरान चतुर्थ चरण की 13 लोकसभा सीटों तथा ददरौल विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए 13 मई (सोमवार) को मतदान होगा। मतदान के समय ऐसे मतदाता जिनके पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो, वे 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त

पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्ड मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे।

श्री रिणवा ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पोलिंग बूथ पर ले जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एवं पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in तथा https://voterportal.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in के अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन एप का भी उपयोग कर सकते हैं।

———————————————